



Neutral Citation-2026:AHC20595

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या – 2955 / 2026

अमृत लाल और 3 अन्य .....याचिकाकर्तागण  
बनाम  
उत्तर प्रदेश राज्य और 27 अन्य .....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता: दीपेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार राय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: आज़ाद राय, सी.एस.सी..

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में, उप-विभागीय अधिकारी, तहसील मंझनपुर, जिला कौशांबी द्वारा 29.11.2023 को एक आदेश पारित किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि उक्त आदेश के बावजूद, निजी प्रतिवादी याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह तर्क दिया गया है कि इस संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा 14.01.2026 को कलेक्टर कौशांबी के समक्ष पहले ही एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

2. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि यदि याचिकाकर्ता 19.11.2023 के आदेश के अनुपालन न होने से व्यथित हैं, तो उनके पास उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 23 के तहत प्रदान किए गए अनुसार उचित आवेदन प्रस्तुत करने का उपाय उपलब्ध है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"